न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास– डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या –127 / 2020
GCMS No. – 2020/00161

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेण्ट्स
अर्जुनराम पुत्र हीराराम जाति जाट आयु 65 वर्ष निवासी शिवपुरा (रायधून) तहसील व जिला नागौर।		1. रामनिवास पुत्र रामचन्द्र उर्फ चन्द्राराम जाति गुरडा निवासी शिवपुरा (रायधून) तहसील व जिला नागौर। 2. तहसीलदार नागौर, राजस्थान।

उपस्थितिः–

1. अपीलाण्ट की ओर से वकील श्री नरेन्द्र सारस्वत।
2. रेस्पोडेण्ट संख्या–1 की ओर से वकील श्री भगवानसिंह राठौड़, रेस्पोडेन्ट संख्या–2 की ओर से राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पूनिया।

निर्णय दिनांक 02-09-2021

अपीलान्ट द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत प्रकरण संख्या–2 / 2016 अधीन धारा 183बी राजस्थान टिनेन्सी एक्ट प्रकरण में तहसीलदार नागौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.09.2017 एवं प्रकरण संख्या–2 / 2016 आवेदन अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी में पारित आदेश दिनांक 02.12.2019 से असंतुष्ट होकर दिनांक 04.07.2020 को प्रस्तुत की गई। अपील अपीलान्ट ताबेउज्र मियाद दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

वकील अपीलान्ट ने अपील के साथ मियाद प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम मय शपथ–पत्र पेश किया है। मयाद के बिन्दु पर वकुलाय की बहस सुनी। वकील अपीलान्ट ने मियाद के बिन्दु पर बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 18.09.2017 को एकतरफा में निर्णय पारित कर अपीलांट को भूमि पर से बेदखल करने के आदेश पारित किये। इस निर्णय की कोई जानकारी अपीलांट को नहीं हो सकी क्योंकि अपीलांट की गैर मौजूदगी में निर्णय पारित किया गया। एकतरफा निर्णय की जानकारी होते की अपीलांट ने एक पक्षीय पारित निर्णय को अपास्त करने हेतु ओदश 9 नियम 13 सीपीसी में आवेदन में प्रस्तुत किया। जब–जब अपीलांट के अधिवक्ता उपस्थित रहे, अधीनस्थ न्यायालय ने जानबूझकर बहस नहीं सुनी तथा दिनांक 01.10.2020 की पेशी पर अपीलांट के अधिवक्ता उपस्थित हुए तब रीडर ने बताया कि पीठासीन अधिकारी अभी आये नहीं है बाद में तारीख देने में असमर्थता जाहिर की। लगभग एक घण्टे तक अपीलांट के अधिवक्ता ने तहसीलदार का इन्तजार किया, मगर तहसीलदार के नहीं आने पर अधिवक्ता द्वारा वापिस तारीख मांगने पर तारीख नहीं दी तथा आइन्दा तारीख पता कर लेने का रीडर ने बताया। बाद में दूसरे दिन व कई बार अधिवक्ता ने जाकर तारीख के बारे में जानकारी चाही, तो तारीख नहीं बताई गई। अपीलांट को अंत में मार्च 2020 की 20 तारीख के आस पास काशीराम [illegible] में फैसला कर दिया गया है। इसी भूमि के संबंध में एक अन्य प्रकरण काशीराम के [illegible] रखा था। काशीराम से जानकारी होने के पश्चात विश्व भर में फैली कोरोना महामारी के कारण [illegible] तालाबंदी हो गई, जो महीनो तक चली। यातायात के सारे साधन बंद हो गये तथा अपीलांट अपनी उम्र को ध्यान में रखते हुए तथा सरकार के निर्देशो की पालना करते हुए तथा [illegible] डर से अपीलांट नागौर [illegible] सका तथा 2020 के अगस्त माह के तीसरे हफ्ते में नागौर आया तथा नकले तहसील से प्राप्त की, इसलिए समय भीतर अपील नहीं करने का समुचित व पर्याप्त कारण रहा है तथा जानबूझकर देरी नहीं की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.11.26 18:32:44 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर, नागौर

समय भीतर अपील प्रस्तुत नहीं करने का समुचित व पर्याप्त कारण होने का कथन करते हुए देरी माफ कर अपील अंदर मियाद शुमार फरमाने का निवेदन किया।

वकील रेस्पोडेन्ट संख्या–1 श्री भगवानसिंह ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मयाद बाहर होने का कथन करते हुए खारिज करने का निवेदन किया।

राजपैरोकार ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मयाद बाहर होने से अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मयाद प्रार्थना पत्र एवं अपील खारिज करने का निवेदन किया।

वकील प्रार्थी / अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मयाद प्रार्थना पत्र में किये गये कथनों के संबंध में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील का गुणावगुण के आधार पर मेरिट पर निर्णय किया जाना उचित है। अतः प्रार्थी / अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मयाद प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील पर वकुलाय की बहस सुनी। वकील अपीलाण्ट ने अपीलान्टस् की ओर से बहस में कथन किया कि तहसीलदार नागौर के समक्ष पटवारी हल्का ने इस आशय की गलत रिपोर्ट पेश की कि हेमी पत्नि रामचन्द्र जो कि अनुसूचित जाति की महिला हैं, की ग्राम रायधनू के खसरा नम्बर 1045 / 261 रकबा 7 बीघा भूमि में से 2 बीघा 18 बिस्वा भूमि पर अपीलांट अर्जुनराम ने कब्जा कर लिया है। पटवारी की इस रिपोर्ट के प्राप्त होने पर तहसीलदार नागौर ने राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 183बी के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज कर अपीलांट को नोटिस दिया। नोटिस मिलने पर अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थिति होकर एक प्रार्थना पत्र पेश कर जवाब सबूत पेश करने हेतु अवसर देने का निवेदन किया, मगर किसी प्रकार का साक्ष्य सबूत जवाब अप्रार्थी से लिये बगैर अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 18.09.2017 को एकतरफा में निर्णय पारित कर अपीलांट को भूमि पर बेदखल करने के आदेश पारित कर दिये। इस निर्णय की कोई जानकारी अपीलांट को नहीं हो सकी, क्योंकि अपीलांट की गैर मौजूदगी में निर्णय पारित किया गया। इस निर्णय की जानकारी होते ही अपीलांट ने एकपक्षीय पारित निर्णय को अपास्त करने के लिए आदेश 9 नियम 13 सीपीसी में आवेदन प्रस्तुत कर एकपक्षीय पारित निर्णय को अपास्त करने व अपीलांट को जवाब, साक्ष्य, सबूत सुनवाई का अवसर दिये जाने का निवेदन किया। उक्त आवेदन लम्बे समय तक बहस के लिए चलता रहा। अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से न्याय की उम्मीद नहीं होने के कारण मुन्तकिल आवेदन भी लगाया गया। दिनांक 01.10.2019 की पेशी पर अपीलांट के अधिवक्ता उपस्थित हुए तब रीडर के द्वारा बताया गया कि पीठासीन अधिकारी बाद में आयेंगे तथा तारीख मांगने पर रीडर ने तहसीलदार के अनुपस्थिति में तारीख देने में असमर्थतता जाहिर की। लगभग एक घण्टे तक अपीलांट के अधिवक्ता ने तहसीलदार का इन्तजार किया, मगर नही आने पर अधिवक्ता द्वारा वापिस तारीख मांगने पर तारीख नहीं दी तथा आइन्दा तारीख पता कर लेने का रीडर ने बताया, बाद में दूसरे दिन व कई बार अधिवक्ता ने जाकर तारीख के बारे में जानकारी चाही, तो तारीख नहीं बताई गई। अपीलांट को अंत में मार्च 2020 की तारीख 20 के आस पास काशीराम से जानकारी हुई कि इस मुकदमे में फैसला कर दिया गया है। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलाधीन निर्णय अवैध, अनाधिकृत, विधि विरूद्व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत तथा बिना क्षेत्राधिकार के होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

हेमी के द्वारा धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष किसी प्रकार का आवेदन, वाद प्रस्तुत नहीं किया गया था, मगर फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रकरण दर्ज करने में कानूनी गलती की है, क्योंकि धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का [illegible]ल पीडित पक्षकार यानी खातेदार द्वारा ही दर्ज कराया जा सकता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.11.26 18:32:44 IST
Reason: SelfAttested

वादग्रस्त भूमि पर हेमी या उसके पति अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य का कभी भी कब्जा काश्त नही रहा था। केवलमात्र कागजो में हेमी के पति रामचन्द्र उर्फ चन्द्राराम को भूमि का आवंटन किया गया था, मौके पर उसका कभी कब्जा [illegible] रहा था। जिस व्यक्ति का कभी कब्जा नहीं रहा, उसके नाम भूमि का आंवटन नहीं किया जा सकता था, न उसे खातेदारी अधिकार प्राप्त हो सकते थे। मौके पर हेमी या उसके पति अथवा परिवार के किसी सदस्य का कब्जा नही रहा है इसकी पुष्टि

कलक्टर, नागौर

मौका रिपोर्ट से होती है मगर इन सब तथ्यो की अनदेखी कर अपीलाधीन निर्णय पारित करने में कानूनी गलती की गई है।

हेमी ने न्यायालय में आकर अपनी भूमि पर अतिक्रमण करने बाबत कोई बयान, साक्ष्य पेश नहीं किये, न ही हेमी के समर्थन में किसी अन्य गवाह के बयान हुए। कोई दस्तावेज भी प्रदर्श नहीं हुआ। बयान और साक्ष्य नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मुकदमा साक्ष्य के अभाव में खारिज किया जाना चाहिए था, मगर अधीनस्थ न्यायालय ने अपने दायित्व का सही निर्वहन नहीं कर गलत आदेश पारित किया, जो अपास्त किये जाने योग्य है।

हेमी और उसके गवाह के उपस्थित नहीं हो पाने के कारण अपीलांट को जिरह जैसे महत्वपूर्ण अधिकार से वंचित होना पड़ा था तथा जिरह के अभाव के कारण सही स्थिति अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नही आ सकी, इसलिए भी अपीलांट के साथ भारी अन्याय हुआ है।

दिनांक 18.09.2017 को निर्णय पारित किया गया उससे बहुत अरसे पहले ही हेमी का निधन हो चुका था। उसके किसी भी कायम मुकाम को रेकर्ड पर लिये जाने की कोई कार्यवाही निर्णय दिनांक 18.09.2017 तक नहीं की गई, न 18.09.2017 तक किसी कायम मुकाम को रेकर्ड पर लिया गया, ऐसी स्थिति में प्रकरण अबेट हो जाने से और हेमी के खत्म हो जाने से दावा, प्रकरण जरिये अबेटमेन्ट खारिज किया जाना चाहिए था, मगर अधीनस्थ न्यायालय ने अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर विधि विरूद्व निर्णय पारित किया हैं, जो बिना क्षेत्राधिकार के भी होने से अपास्त योग्य है।

निर्णय पारित करने के बाद हेमी के कायम मुकाम को रेकर्ड पर नहीं लिया जा सकता था, जब तक कि पारित निर्णय उसी न्यायालय द्वारा अपास्त कर नये सिरे से कार्यवाही शुरू नही कर दी जाती, चूंकि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के आवेदन अधीन आदेश 9 नियम 13 सीपीसी का खारिज कर दिया, ऐसी सूरत में अधीनस्थ न्यायालय को हेमी के कायम मुकाम को रेकर्ड पर लेने को कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि ऐसी प्रकिया किसी विधि में नहीं दी गई है।

अधीनस्थत न्यायालय ने अपीलांट को जवाब, साक्ष्य, सबूत सुनवाई का कोई समुचित अवसर प्रदान नहीं किया और अंत में आगामी तारीख तक नहीं बताई गई और एकतरफा में निर्णय पारित कर दिया। अपीलांट के अधिवक्ता लगातार हर पेशी पर उपस्थित होते रहे तथा आदेश 9 नियम 13 सीपीसी के आवेदन पर बहस सुने जाने का निवदेन भी कई बार किया, मगर उपस्थिति में कभी बहस नहीं सुनी गई। अधीनस्थ न्यायालय से न्याय की उम्मीद नहीं होने के कारण अपीलांट की ओर से ट्रांसफर दरख्वास्त भी पेश की गई, इस प्रकार जो आशंका अपीलांट को थी, वह सही साबित हुई।

ग्राम रायधनू के मूल खसरा नम्बर 261 गैर मुमकिन सरकारी भूमि रहती रही है। इस सरकारी भूमि पर अपीलांट का कब्जा होने से तथा आवंटन की पात्रता रखने से अपीलांट को इस 22 बीघा 16 बिस्वा भूमि का आवंटन कर दिया गया। आवंटन के बाद यह भूमि अपीलांट के खातेदारी में दर्ज हो गई। वर्तमान खसरा नम्बर 992/261 रकबा 15 बीघा तथा खसरा नम्बर 1094/261 रकबा 7 बीघा 16 बिस्वा अपीलांट अर्जुनराम के खातेदारी कब्जे की भूमि रहती रही है। खसरा नम्बर 261 की भूमि पर कुछ अन्य लोगो का कब्जा होने से उनको भी भूमि का आवंटन किया गया, लेकिन हेमी या उसके पति रामचन्द्र का कभी भी कब्जा नही होते हुए भी कागजी आवंटन किया गया।

इस कागजी आवंटन का नाजायज फायदा उठाकर काशीराम वगैरह के विरूद्व झुठा कार्यवाहियां की गई, जिस पर तहसीलदार नागौर के द्वारा खसरा नम्बर 261 की मौका रिपोर्ट तैयार की। टीम के द्वारा मौका देखे जाने तक खसरा नम्बर 1045/261 की कोई तरमीम राजस्व नक्शे में नहीं हो रखी थी, मगर बाद में पटवारी, तहसीलदार वगैरह ने हेमी वगैरह से मिलावट कर राजस्व नक्शे, लट्टा नक्शे में फर्जी इन्द्राज कर हेमी को नाजायज फायदा [illegible] इसकी जानकारी होने से इन सब लोगो के खिलाफ धोखाधड़ी व कूटरचित [illegible] मुकदमा दर्ज कराया गया।

तहसीलदार नागौर ने अपीलाधीन निर्णय पारित कर अपीलांट के खातेदारी कब्जे की भूमि पर से ही अपीलांट को बेदखल कर अपीलांट की भूमि हेमी को दिलाने का निर्णय गलत पारित किया है।

अपीलांट के खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 992/261 रकबा 15 बीघा में से 11 बीघा 08 बिस्वा भूमि का बेचान बालूराम को कर देने से बालूराम के खातेदारी में खसरा नम्बर 1372/992 के रूप में दर्ज हो गई। बालूराम के फौत हो जाने से उसके लडके भींयाराम पत्नि मोहनी काबिज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.11.26 18:32:44 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर, नागौर

मौका रिपोर्ट अनुसार अपीलांट और उसके क्रेता का कुल 22 बीघा 16 बिस्वा भूमि पर ही कब्जा पाया गया, इस प्रकार अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय ने अतिक्रमी मानने और बेदखल कर आदेश पारित करने में कानूनी गलती की है। अपीलाधीन आदेश अन्यायोचित, अवैध तथा पूर्वाग्रहो से ग्रसित होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य होने का कथन करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय/आदेश दिनांक 18.09.2017 व 02.12.2019 अपास्त कराने का निवेदन किया। वकील अपीलान्ट ने बहस के समर्थन में DNJ(Rev.) 2018 Page-244-247, RRT 2003(1) Page-678-684, RRD 2010 Page-772-774, RRD 2010 Page-132-134, RRD 2014 Page-404-405 न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये।

वकील श्री भगवानसिंह राठौड़ ने वकील अपीलान्ट की बहस का विरोध करते हुऐ बहस में कथन किया कि अपीलान्ट अधिनस्थ न्यायालय में तारीख पेशी 24.01.2017 को उपस्थित हुआ एवं प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील दिनांक 18.09.2017 को पारित किया गया, जो किसी प्रकार की जल्दबाजी में आदेश पारित नहीं किया गया है, उक्त अवधि में अपीलान्ट द्वारा किसी प्रकार की कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं की है। जबकि अपीलान्ट के पास अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर रहा था। अपीलान्ट द्वारा माजौ रायधनू ख.नं. 1045/261 रकबा 7 बीघा भूमि, जो कि हेमी पत्नी रामचन्द्र उर्फ चन्द्राराम जाति गुरड़ा के नाम दर्ज है, जो अनुसूचित जाति की महिला की भूमि रही है। उक्त खसरा नम्बर 1045/261 रकबा 7 बीघा में से 2–18 बीघा भूमि पर अपीलान्ट द्वारा अनाधिकृत कब्जा करने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को पूर्ण सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुऐ अपीलान्ट के अनुपस्थित रहने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रकरण में आदेश जैर अपील दिनांक 18.09.2017 को पारित कर अपीलान्ट को बेदखल करने का आदेश जारी किया, जो सही है। इसके पश्चात अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय पारित करने के पश्चात हेमी फौत हो जाने तथा उक्त वादग्रस्त भूमि का तर्कनामा व रेकर्ड में अमल दरामद रेस्पोडेन्ट संख्या 1 रामनिवास के नाम हो जाने से हेमी के स्थान पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 रामनिवास को पक्षकार बनाये जाने का अधिनस्थ न्यायालय में निवेदन किया गया। इसी दरमियान अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में आवेदन अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी आदेश जैर अपील दिनांक 18.09.2017 को अपास्त करने प्रस्तुत किया। अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत उक्त आवेदन पूर्णतया तथ्यों के विरूद्ध व गलत आधारों पर पेश किया गया। अपीलान्ट द्वारा आवेदन में किये गये कथनों को साबित करने के संबंध में कोई साक्ष्य पेश नहीं की और न ही आदेश जैर अपील दिनांक 18.09.2017 को अपास्त करने के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील दिनांक 02.12.2019 पारित कर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत उक्त आवेदन आदेश 9 नियम 13 सीपीसी को खारिज किया एवं साथ ही प्रार्थी हेमी के उत्तराधिकारी रामनिवास रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को रेकर्ड पर लिया जाकर पूर्व निर्णय/आदेश दिनांक 18.09.2017 को यथावत रखा गया है, जो कि पूर्णतया उचित है। वकील अपीलान्ट द्वारा हस्तगत अपील में भी ऐसी कोई ठोस एवं युक्ति–युक्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कि जिससे की अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील दिनांक 18.09.2017 एवं 02.12.2019 निरस्त किया जा सके। उक्त दोनों आदेश जैर अपील पूर्णतया उचित होने का कथन करते हुए वकील श्री भगवानसिंह राठौड़ ने अपीलान्ट की अपील सारहीन होने के आधार पर खारिज करने का निवेदन किया है।

राजपैरोकार ने वकील अपीलान्ट की बहस का विरोध करते हुए बहस में कथन किया कि तहसीलदार नागौर द्वारा अपीलान्ट को आदेश 02.12.2019 एवं 18.09.2017 पारित करने से पूर्व सुनवाई आदि का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया है, अ[illegible] न्यायालय तहसीलदार नागौर की पत्रावली की आदेशिकाओं स्पष्ट है। वकील अपीलान्ट द्वारा [illegible]ाई [illegible]य सबूत पेश करने का अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अवसर प्रदान नहीं करने के संबंध में जो कथ[illegible]ये है, वह पूर्णतया मनगढ़त, काल्पनिक एवं साक्ष्य से परे होना बताया है। प्रकरण में जिला कलेक्टर नागौर के समक्ष दिनांक 29.12.16 को रामनिवास पुत्र श्री चन्द्राराम उर्फ रामचन्द्र द्वारा खेत [illegible]सरा नम्बर 1045/261 रकबा 7 बीघा का कब्जा दिलाने हेतु आवेदन पत्र पेश किया, जिसे जिला कलक्टर महोदय नागौर द्वारा तहसीलदार नागौर को भेजा है, जो विधि अनुसार सही है। प्रकरण में पटवारी रिपोर्ट के अनुसार ग्राम रायधनू के मूल खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.11.26 18:32:44 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर, नागौर

नम्बर 261 में से ख.नं. 1045/261 रकबा 7 बीघा भूमि हेमी पत्नी रामचन्द्र उर्फ चन्द्राराम जाति गुरड़ा के नाम दर्ज है, जो अनुसूचित जाति की भूमि है। दिनांक 30.12.2016 को तहसील कार्यालय में रिकार्ड रूम में ग्राम रायधनु के पुराने नक्शे की तलाश की गई और पुराना नक्शे में खसरा नम्बर 1045/261 की तरमीम की हुई है, जो खसरा नम्बर 261/2, 258, 992/261 व 1094/261 के मध्य है। उक्त खसरा नम्बर 1045/261 रकबा 7 बीघा में से 2–18 बीघा भूमि पर अर्जुनराम पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी शिवपुरा (रायधनू) द्वारा अतिक्रमण किया हुआ होना पटवारी द्वारा अपनी रिपोर्ट में बताया गया है। अपीलान्ट ने अतिक्रमित वादग्रस्त भूमि अपनी स्वंय की खातेदारी की भूमि होने के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को समुचित सुनवाई साक्ष्य आदि का समुचित अवसर प्रदान कर अपीलान्ट द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्ति के खातेदारी की भूमि पर अतिक्रमण करने पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 बी के तहत कार्यवाही कर आदेश दिनांक 18.09.2017 पारित कर अपीलान्ट को वादग्रस्त भूमि से बेदखल करने को आदेश दिया गया है, जो पूर्णतया सही एवं उचित है। इसके बाद अपीलान्ट द्वारा उक्त आदेश 18.09.2017 को अपास्त करने हेतु आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें भी अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया परन्तु अपीलान्ट अधिनस्थ न्यायालय में अनुपस्थित रहा। अपीलान्ट द्वारा कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट का आवेदन अन्तर्गत धारा आदेश 9 नियम 13 खारिज किया गया एवं पूर्व आदेश जैर अपील दिनांक 18.09.2017 को यथावत रखते हुए वकील श्री भगवानसिंह राठौड़ द्वारा दिनांक 20.09.2017 को प्रार्थी हेमी फौत होने एवं उक्त वादग्रस्त भूमि का तर्कनामा व रेकर्ड में रामनिवास पुत्र रामचन्द्र उर्फ चन्द्राराम के नाम अमलदरामद हो जाने से हेमी के स्थान पर रामनिवास को पक्षकार बनाये जाने बाबत प्रस्तुत आवेदन पत्र के संबंध में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी हेमी के उत्तराधिकारी रामनिवास पुत्र रामचन्द्र उर्फ चन्दाराम जाति गुरड़ा (मेघवाल) को रेकर्ड पर लिये जाने का भी आदेश 02.12.2019 पारित किया गया है, जो पूर्णतया उचित है। वकील अपीलान्ट द्वारा अपने कथनों को साबित करने के संबंध में कोई ठोस एवं युक्तियुक्त साक्ष्य पेश नहीं की है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील पूर्णरूप से गलत तथ्यों पर आधारित होने का कथन करते हुऐ अपील अपीलान्ट खारिज करने का निवेदन किया है।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अद्योपान्त अवलोकन किया। प्रार्थी रामनिवास पुत्र श्री चन्द्राराम उर्फ रामचन्द्र जाति गुरड़ा(मेघवाल) निवासी रायधनू द्वारा जिला कलक्टर नागौर के समक्ष दिनांक 29.12.2016 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा रायधनू में स्थित खेत खसरा नम्बर 1045/261 रकबा 7 बीघा स्वंय तथा अपनी माता की खातेदारी है। उक्त खेत पर काशीराम पुत्र लालाराम, राजुराम पुत्र काशीराम, लादुराम पुत्र काशीराम जाति नाई निवासी रायधनू द्वारा जबरन नाजायज तौर पर कब्जा कर मकान बनाने शुरू कर दिये है, इत्यादि अवगत कराते हुऐ अपनी खातेदारी कि भूमि का नाप कर कब्जा दिलाने तथा अवैध रूप से बनाये गये मकानों को हटवाये जावे व विरोधी पक्ष के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने का निवेदन किया। जिला कलक्टर नागौर द्वारा उक्त मूल प्रार्थना पत्र तहसीलदार नागौर को कार्यवाही हेतु प्रेषित किया। उक्त प्रार्थना पत्र पर पटवारी रायधनू द्वारा दिनांक 30.12.2016 को रिपोर्ट प्रस्तुत कर अवगत कराया कि ग्राम रायधनू के मूल खसरा नम्बर 261 में से ख.नं. 1045/261 रकबा 7 बीघा भूमि हेमी पत्नी रामचन्द्र उर्फ चन्द्राराम जाति गुरड़ा के नाम दर्ज है। उक्त भूमि के संबंध में तहसीलदार नागौर के आदेश क्रमांक–7955–61 दिनांक 20.12.2016 की पालना में गठित टीम द्वारा दिनांक 21.12.2016 [illegible] नम्बर 261 का सम्पूर्ण नाप–चौप किया गया परन्तु उस वक्त हल्का पटवारी [illegible] खसरा नम्बर 1045/261 की तरमीम स्पष्ट एवं सहज दृश्य नहीं होने से सीमा ज्ञान संभव नहीं हो सका। परन्तु दिनांक 30.12.2016 को तहसील कार्यालय में रिकार्ड रूम में ग्राम रायधनू के पुराने नक्शे की तलाश की गई और पुराना नक्शे में खसरा नम्बर 1045/261 की तरमीम की हुई है, जो खसरा नम्बर 261/2, 258, 992/261 व 1094/261 के मध्य होने से रेकर्ड एवं मौके का मिलान करने पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183ख का प्रकरण बनना तथा खसरा नम्बर 1045/261 रकबा 7 बीघा में से 2–18

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.11.26 18:32:44 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर, नागौर

बीघा भूमि पर अर्जुनराम पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी शिवपुरा (रायधनू) द्वारा अतिक्रमण किया हुआ होना बताते हुए अर्जुनराम पुत्र हीराराम के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183ख के अन्तर्गत कार्यवाही करने बाबत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

उक्त रिपोर्ट पर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर द्वारा प्रकरण संख्या 02/2016 हेमी बनाम अर्जुनराम दर्ज कर अप्रार्थी अर्जुनराम पुत्र हीराराम (जो हस्तगत अपील में अपीलान्ट है) को नोटिस जारी किया गया। अपीलान्ट अर्जुनराम को जारी नोटिस तारीख पेशी 24.01.2017 पर अपीलान्ट अर्जुनराम द्वारा तामील की गई। अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 24.01.2017 अनुसार अपीलान्ट का सम्मन बाद तामील शा.पत्रावली किया गया तथा अपीलान्ट ने अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित होने का प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसे शा.मि. किया गया तथा पत्रावली वास्ते जबाब हेतु दिनांक 08.02.2017 को नियत की गई। अपीलान्ट का उक्त नोटिस व प्रार्थना पत्र अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध है। अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थी हेमी पत्नी रामचन्द्र उर्फ चन्द्राराम की ओर से वकील श्री भगवानसिंह राठौड़ द्वारा दिनांक 27.02.2017 को वकालतनामा पेश किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 08.09.17 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ जिस पर तारीख पेशी 08.09.2017 को अपीलान्ट के विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई एवं तारीख पेशी 18.09.2017 को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील दिनांक 18.09.2017 को पारित कर मौजा रायधनू के खसरा नम्बर 1045/261 रकबा 7 बीघा भूमि जो अनुसूचित जाति के सदस्य की होने एवं जिस पर स्वर्ण जाति के सदस्य अपीलान्ट द्वारा 2–18 बीघा भूमि पर कब्जा काश्त होने से अधिनियम की धारा 183 बी आर.टी.एक्ट के तहत बेदखल करने का आदेश दिया गया। तत्श्चात अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 20.09.2017 के अनुसार प्रार्थी हेमी के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थीनी हेमी के फोत होने से इनके कायममुकामान को रेकर्ड पर लेने का आवेदन पेश किया, एवं कायममुकामान की ओर से वकालतनामा पेश करने हेतु समय चाहा गया। आदेशिका दिनांक 23.10.2017 के अनुसार दोनों पक्षों के अधिवक्ता उपस्थित रहे एवं अपीलान्ट की ओर वकालतनामा पेश किया गया, जिस पर पत्रावली प्रार्थी के कायममुकामान की दरख्वास्त की बहस हेतु पेशी 10.11.17 को नियत की गई। तारीख पेशी 10.11.17 को वकील अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. का आवेदन मुख्यतः इस आश्य का पेश किया की अप्रार्थी/अपीलान्ट को जबाब साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया। वादग्रस्त भूमि कभी भी हेमी या उसके पूर्वजों पति या उसके स्वंय के खातेदारी कब्जे की भूमि नहीं रही है न उसका कभी कब्जा रहा है। वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी के खातेदारी कब्जे की भूमि है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में चलने योग्य नहीं है। जिलाधीश को मुकदमा दर्ज कराने का अधिकार नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय को मुकदमा 183 में दर्ज करने, अग्रिम कार्यवाही करने, निर्णय पारित करने का क्षेत्राधिकार नहीं है। प्रार्थी स्वंय ने कायममुकाम को रेकर्ड पर लेने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है, जो विचाराधीन होने का कथन करते हुए वकील अपीलान्ट ने अधिनस्थ न्यायालय से उनके द्वारा पारित आदेश जैर अपील दिनांक 18.09.2017 को निरस्त करने का निवेदन किया। वकील प्रार्थी द्वारा दिनांक 02.01.2018 को अप्रार्थी/अपीलान्ट के आवेदन अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. का जबाब पेश किया, जिसकी नकल वकील प्रार्थी दिनांक 30.01.2018 को दी गई। वकील प्रार्थी ने जबाब में वकील अप्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा आवेदन में किये गये कथनों को अस्वीकार किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तत्पश्चात वकुलाय को कई अवसर प्रदान किये गये। दिनांक 09.10.2019 को अप्रार्थी/अपीलान्ट अनुपस्थित रहा। तत्श्चात दिनांक 02.12.2020 को अप्रार्थी/अपीलान्ट के अधिवक्ता अनुपस्थित रहने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 02.12.2019 को अप्रार्थी/अपीलान्ट का आवेदन अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. खारिज किया गया एवं पूर्व आदेश दिनांक 18.09.2017 में हेमी के का0मु0 रामनिवास को रेकर्ड पर लिये जाने का नोट अकित करने एवं पूर्व आदेश दिनांक 18.09.17 को यथावत रखा गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar
Date: 2021.11.26 18:32:44 IST
Reason: SelfAttested

इस प्रकार उपर्युक्तानुसार तथ्यों से स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को आदेश जैर अपील 02.12.2019 एवं 18.09.2017 पारित करने से पूर्व सुनवाई, साक्ष्य, सबूत आदि का विधिवत समुचित अवसर प्रदान किया गया है। वकील अपीलान्ट द्वारा सुनवाई, साक्ष्य सबूत पेश करने का

कलक्टर, नागौर

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अवसर प्रदान नहीं करने के संबंध में जो कथन किये है, राजपैरोकार द्वारा उक्त कथनों को मनगढ़त, काल्पनिक एवं साक्ष्य से परे होना बताया है, जो उपर्युक्तानुसार तथ्यों से भी स्पष्ट है। प्रकरण में जिला कलक्टर नागौर के समक्ष दिनांक 29.12.16 को रामनिवास पुत्र श्री चन्द्राराम उर्फ रामचन्द्र द्वारा खेत खसरा नम्बर 1045/261 रकबा 7 बीघा का कब्जा दिलाने बाबत निवेदन करने पर जिला कलक्टर नागौर द्वारा उक्त आवेदन तहसीलदार नागौर को भेजा है, जो विधि अनुसार सही है। प्रकरण में पटवारी रिपोर्ट के अनुसार ग्राम रायधनू के मूल खसरा नम्बर 261 में से ख.नं. 1045/261 रकबा 7 बीघा भूमि हेमी पत्नी रामचन्द्र उर्फ चन्द्राराम जाति गुरड़ा के नाम दर्ज है, जो अनुसूचित जाति की भूमि है। दिनांक 30.12.2016 को तहसील कार्यालय में रिकार्ड रूम में ग्राम रायधनु के पुराने नक्शे की तलाश की गई और पुराना नक्शे में खसरा नम्बर 1045/261 की तरमीम की हुई है, जो खसरा नम्बर 261/2, 258, 992/261 व 1094/261 के मध्य है। उक्त खसरा नम्बर 1045/261 रकबा 7 बीघा में से 2–18 बीघा भूमि पर अर्जुनराम पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी शिवपुरा (रायधनू) द्वारा अतिकमण किया हुआ होना पटवारी द्वारा अपनी रिपोर्ट में बताया गया है। हस्तगत प्रकरण में अतिकमित वादग्रस्त भूमि अपीलान्ट की अपनी खातेदारी की भूमि होने के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। इसके अलावा वादग्रस्त भूमि पर अपीलान्ट ने स्वंय का कब्जा होने बाबत कथन किया है, परन्तु उक्त कब्जा आवंटन से पूर्व होने बाबत कोई ठोस प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को युक्तियुक्त सुनवाई साक्ष्य आदि का समुचित अवसर प्रदान कर अपीलान्ट द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्ति के खातेदारी की भूमि पर अतिकमण करने पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 बी के तहत कार्यवाही कर आदेश जैर अपील दिनांक 18.09.2017 को पारित किया गया है एवं तत्पश्चात अपीलान्ट द्वारा उक्त आदेश 18.09.2017 को अपास्त करने हेतु आदेश 9 नियम 13 सी.पी.सी. के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें भी अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया परन्तु अपीलान्ट अधिनस्थ न्यायालय में अनुपस्थित रहा। अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट का आवेदन अन्तर्गत धारा आदेश 9 नियम 13 खारिज किया गया एवं वकील श्री भगवानसिंह राठौड़ द्वारा दिनांक 20.09.2017 को प्रार्थी हेमी फौत होने एवं उक्त वादग्रस्त भूमि का तर्कनामा व रेकर्ड में रामनिवास पुत्र रामचन्द्र उर्फ चन्द्राराम के नाम अमलदरामद हो जाने से हेमी के स्थान पर रामनिवास को पक्षकार बनाये जाने बाबत आवेदन के संबंध में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी हेमी के उत्तराधिकारी रामनिवास पुत्र रामचन्द्र उर्फ चन्दाराम जाति गुरड़ा (मेघवाल) को रेकर्ड पर लिये जाने का आदेश 02.12.2019 पारित किया गया है, जो उचित है। वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण के तथ्यों के दृष्टिगत हूबहू चस्पा नहीं होते है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत यह अपील बलहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील दिनांक 18.09.2017 एवं 02.12.2019 यथावत रखे जाते है। अधिनस्थ न्यायालय को उनका मूल रिकार्ड लौटाते हुए निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

(डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर, नागौर

Signature Not Verified

Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.11.26 18:32:44 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर, नागौर